

नगर पंचायत कौड़ियागंज (अलीगढ़)
सूचना अधिकार अधिनियम-2005
धारा-4(1) (बी) के अनुसरण में अभिलेख

1. संरचना, कृत्य और कर्तव्य:

नगर पंचायत पिलखना जिला अलीगढ़ का गठन सन् 1840 में हुआ था। इसकी सीमा क्षेत्रफल 12.62 वर्ग किलो मीटर एवं जनगणना 1951 में 3037, 1961 में 3571, 1971 में 4133, 1981 में 5272, 1991 में 7379, 2001 में 9719 है। नगर पंचायत पिलखना, अलीगढ़, में जलाली गंगीरी तथा छर्मा मार्ग पर स्थित है। अलीगढ़ से 25 कि०मी० है।

नगर पंचायत कौड़ियागंज स्वायत्तशासी संस्था है। एक अध्यक्ष और निर्वाचित सदस्य 10 तथा पदेन सदस्य लोक सभा एवं राज्य विधान सभा सदस्य, नाम निर्दिष्ट सदस्य न्यतम तीन, सम्प्रति निर्वाचित बोर्ड का कार्यकाल समाप्ति कारण से नगर पंचायत के समस्त कृत्य-कर्तव्य जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित प्रशासक से निहित है।

नगर पंचायत के कर्तव्य:-

उ०प्र०न०पा०प० अधिनियम 1916 की धारा 7 में वर्णित कर्तव्य:

- सार्वजनिक सड़कों और स्थानों पर रोशनी।
- सार्वजनिक सड़कों और स्थानों पर पानी का छिड़काव।
- नगर पंचायत सीमा का सर्वेक्षण करना और सीमा चिन्ह लगाना।
- सार्वजनिक सड़कों, स्थानों और नालियों की सफाई करना, हानिकर वनस्पति को हटाना और समस्त लोक उत्पात का उपशमन करना।
- संतापकारी, खतरनाक या आपत्तिजनक व्यापार, आजीविका या प्रथा का विनियमन करना।

- आवारा कुत्तों तथा खतरनाक पशुओं को परिरूद्ध करना, हटाना या नष्ट करना।
- लोक सुरक्षा, स्वास्थ्य या सुविधा के आधार पर सड़कों या सार्वजनिक स्थानों से अवांछनीय अवरोध और प्रक्षेप हटाना।
- खतरनाक भवनों या स्थानों को सुरक्षित बनाना या हटाना।
- मृतकों के निस्तारण के लिये स्थान अर्जित, अनुरक्षित, परिवर्तित और विनियमित करना और अदावाकृत शवों के पुलिस से लिखित रूप में यह अभिनिश्चित करने के पश्चात् कि ऐसा करने में कोई आपत्ति नहीं है, निस्तारण का प्रबन्ध करना।
- सार्वजनिक सड़कों, बाजारों, वध शालाओं, शौचालयों, संडासों, मूत्रालयों, नालियों, जलोत्सारण निर्माण कार्यो का निर्माण, परिवर्तन और अनुरक्षण करना।
- घरेलू औद्योगिक और वाणिज्यक प्रयोजनों के लिये जलापूर्ति उपलब्ध कराना।
- सड़क के किनारें तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों में वृक्ष लगाना और उनका अनुरक्षण करना।
- ऐसे स्थानों में जहां वर्तमान जल संभरण के अपर्याप्त या अस्वास्थ्यप्रद होने से वहां के निवासियों के स्वास्थ्य को संकट हो, शुद्ध और स्वास्थ्यप्रद जल के पर्याप्त संभरण की व्यवस्था करना, मनुष्यों के उपभोग के लिये प्रयुक्त होने वाले जल को प्रदूषित होने से बचाना और प्रदूषित जल के ऐसे उपयोग को रोकना।
- जल-संभरण के अन्य किसी स्रोत के अतिरिक्त, सार्वजनिक कुओं को यदि कोई हो, ठीक हालत में रखना, उनके जल को प्रदूषित होने से बचाना और उसे मनुष्यों के योग्य बनाये रखना।
- जन्म और मरण का रजिस्ट्रीकरण।
- सार्वजनिक टीका लगाने की प्रणाली की स्थापना तथा उसका अनुरक्षण।

- सार्वजनिक चिकित्सालयों और औषधालयों की स्थापना उनका अनुरक्षण या उनकी सहायकता करना और सार्वजनिक चिकित्सा सम्बन्धी सहायकता की व्यवस्था करना।
- प्रसूति केन्द्रों, शिशु कल्याण और जन्म नियंत्रण क्लीनिकों की स्थापना, अनुरक्षण और सहायता करना और जनसंख्या नियंत्रण, परिवार कल्याण और छोटे परिवार मानक का संवर्द्धन करना।
- शारीरिक संवर्द्धन की संस्थाओं की स्थापना और उसका अनुरक्षण या उन्हें सहायकता प्रदान करना।
- प्राथमिक स्कूलों की स्थापना और उनका अनुरक्षण करना।
- आग बुझाने में सहायता देना और आग लगने पर जीवन तथा सम्पत्ति की रक्षा करना।
- नगर पंचायत में निहित या उसके प्रबंध में सौंपी गयी सम्पत्ति की सुरक्षा करना, उसका अनुरक्षण तथा विकास करना।
- वित्त-व्यवस्था का संतोषप्रद स्थिति में बनाये रखना और उसके दायित्वों को पूरा करना।
- शासकीय पत्रों पर तत्काल ध्यान देना और ऐसी विवरणियां, विवरण और रिपोर्ट तैयार करना, जिन्हें राज्य सरकार से प्रस्तुत करने की अपेक्षा करें।
- विधि द्वारा उस पर अधिरोपित किसी बाध्यता की पूर्ति करना।
- पार्किंग स्थल, बस स्टॉप और जन सुविधाओं का निर्माण और अनुरक्षण करना।
- नगरीय वानिकी और पारिस्थितिकी पहलुओं की अभिवृद्धि और पर्यावरण का संरक्षण करना।
- समाज के दुर्बल वर्गों के जिनके अन्तर्गत विकलांग और मानसिक रूप से मन्द

व्यक्ति है, हितों का संरक्षण करना।

- सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्य परख पहलुओं की अभिवृद्धि करना।
- कांजी हाऊस, का निर्माण और अनुरक्षण करना और पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण करना।
- गन्दी-बस्ती सुधार और उन्नयन।
- नगरीय निर्धनता कम करना।
- नगरीय सुख सुविधाओं और सुविधाओं जैसे कि पार्क, उद्यान और खेल के मैदानों की व्यवस्था करना।

नगर पंचायत कौड़ियागंज के वैवैकिक कृत्य:-

- मास्टर प्लान तैयार करना और उसे निष्पादित करना।
- पुस्तकालय, संग्रहालय, वाचनालय, रेडिया, संग्राही केन्द्र, कुष्ठाश्रम, अनाथलय, शिशु-सदन और महिला उद्धार-ग्रह कार्यालय, धर्मशाला, विश्राम-ग्रह, सिविर-स्थल, अर्किचन-ग्रह, दुग्धशाला, स्नानागार, स्नान-घाट, धोवियों के धुलाई-स्थल, पीने के पानी का स्त्रोंत (ड्रिंकिंग फाउन्टेन) तालाब, कुंआ, बांध तथा अन्य लोकोपयोगी निर्माण कार्यो का निर्माण, उनकी स्थापना तथ उनका अनुरक्षण या उनके अनुरक्षण में अशंदान देना।
- जन-गणना करना और ऐसी सूचना के लिये इनाम देना, जिससे जन्म मरण के आंकड़ों का सही रजिस्ट्रीकरण सुनिश्चित हो सके।
- ऐसी सूचना के लिये इनाम देना, जिससे जन्म मरण के आंकड़ों का सही रजिस्ट्रीकरण सुनिश्चित को सके।
- स्थानीय विपत्ति पड़ने पर, सहायता कार्यो की स्थापना और उनका अनुरक्षण करके या अन्य प्रकार से सहायता करना।

- धारा 298 के शीर्षक 'छ' के उपशीर्षक (क) के अधीन उल्लिखित किसी व्यापार या निर्माण के कार्यान्वयन के लिये उपयुक्त स्थान प्राप्त करना या प्राप्त करने में सहायता देना।
- सीवेज के निस्तारण के लिये फार्म या कारखाना स्थापित करना और उसका अनुरक्षण करना।
- विष्ठा और कूड़ा-करकट से कम्पोस्ट खाद तैयार करने के लिये प्रबन्ध करना।
- पर्यटक यातायात की अभिवृद्धि करना।
- मेले और प्रदर्शनियां लगाना।
- ग्रह और नगर नियोजन योजनाएँ तैयार करना और उनका निष्पादन।
- व्यापार और उद्योग की अभिवृद्धि के लिये उपाय करना।
- अपने कर्मचारियों के लिये श्रम कल्याण केन्द्र स्थापित करना और ऐसे कर्मचारियों व किसी एसोसियेशन संघ या क्लब की सामान्य उन्नति के लिये अनुदान अथवा ऋण देकर, उसके कार्यकलापों में सहायता देना।
- भिक्षा-वृत्ति पर नियंत्रण के लिये उपाय करना।
- कोई ऐसा कार्य करना, जिसके सम्बन्ध में व्यय राज्य सरकार द्वारा नगर पंचायत द्वारा, नगरों की दशा में राज्य सरकार की और अन्य नगर पंचायतों की दशा में विहित प्राधिकारी की स्वीकृति से, नगर पंचायत निधि पर समुचित प्रभार घोषित किया जाये।

नगर पंचायत की शक्तियां और कृत्य

अनुसूची-एक

धारा	शक्ति या कर्तव्य	अभ्युक्तियां
1.	2.	3.
46-क	आकस्मिक रिक्ति होने पर अध्यक्ष का निर्वाचन करना।	
47-क	अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करना।	
52	अध्यक्ष से रिपोर्ट आदि को प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना।	
54	उपाध्यक्ष निर्वाचित करना, या उसका त्याग-पत्र स्वीकार करना।	
57	कार्यपालक अधिकारी और स्वास्थ्य अधिकारी नियुक्त और नियोजित करना।	
58	कार्यपालक अधिकारी को पदच्युत करना, हटाना या अन्यथा दण्ड देना और स्वास्थ्य अधिकारी के स्थानांतरण की सिफारिश करना।	
59	ऐसे मामले में जिसमें रिक्ति दो मास से अधिक हो, किसी व्यक्ति को स्थानांतरण कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिये नियुक्त करना।	
61	कार्यपालक अधिकारी या स्वास्थ्य अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपील ग्रहण करना।	प्रत्यायोजित किया जा सकता है।
63	कार्यपालक अधिकारी या स्वास्थ्य अधिकारी से विवरणी आदि को प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना।	
66	सचिव नियुक्त करना।	
67	सचिव को पदच्युत करना, हटाना या अन्यथा दण्ड देना।	
68	सिविल अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, विद्युत अभियन्ता, सहायक विद्युत अभियन्ता, जलकल अभियन्ता, सहायक जल-कल अभियन्ता, विद्युत एवं जल-कल अभियन्ता, सहायक विद्युत एवं जल-कल अभियन्ता, अर्हता प्राप्त ओवरसियर या सब ओवरसियर, सचिव, शिक्षा अधीक्षक या महिला शिक्षा अधीक्षक नियुक्त करना।	

.2.

- 69 धारा 68 के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी को पदच्युत करना, हटाना या अन्यथा दण्ड देना।
- 70-क किसी विशेष कार्य के लिये अस्थाई सेवक नियोजित करने का प्रतिषेध करना।
- 71 नगर पंचायत के स्थाई कर्मचारी की संख्या और वेतन अवधारित करना।
- 72 किसी एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक अधिकारियों के कर्तव्यों के निर्वहन के लिये नियुक्त करना।
- 79-2 भविष्य निधि स्थापित करना।
- 79-3-4 उपदान या अनुकम्पा भत्ता करना या वार्षिकी स्वीकृत करना या क्रय और-5 करना।
- 81 किसी सदस्य के विरुद्ध वाद संस्थित करना।
- 82-2 ऐसी धनराशि निश्चित करना जिस धनराशि तक कोई सदस्य नगर पंचायत को यदा-कदा होने वाली बिक्री में हित रखता हो।
- 94-6 किसी संकल्प को उपान्तरित या रद्द करना।
- 96-1 ऐसी संविदा स्वीकृत करना जिसके लिये बजट में कोई व्यवस्था न हो या जिसमें ऐसा मूल्य या धनराशि अन्तर्गत हो जो किसी नगर पंचायत द्वारा किये गये संविदा की दशा में दस हजार रूपये और नगर पंचायत द्वारा किये गये संविदा की दशा में तीन हजार रूपये से अधिक न हो।
- 96-2 नगर पंचायत की किसी समिति या अधिकारी या सेवक को अन्य संविदा स्वीकृत करने के लिये सशक्त करना।
- 96-3 अभियन्ता को संविदा स्वीकृत करने के लिये सशक्त करना।
- 99 बजट स्वीकृत करना या बजट में फेरफार या परिवर्तन करना।

- 104-1 समितियों के सदस्यों को नियुक्त करना और हटाना।
- 104-2 सलाहकार समितियां स्थापित करना और उनके सदस्यों की नियुक्ति करना।
- 105 नगर पंचायत के सदस्यों से भिन्न व्यक्तियों को समितियों में नियुक्त करना।
- 106 समितियों में रिक्तियों की पूर्ति करना।
- 107-1 किसी समिति का सभापति नियुक्त करना।
- 109 समिति में विवरणी मांगना।
- 110 संयुक्त समितियां नियुक्त करना और किसी ऐसे लिखित में फेरफार करना या उसको विखण्डित करना जिसके आधार पर कोई संयुक्त समिति नियुक्त की गयी है।
- 112 नगर पंचायत को प्रदत्त या अधिरोपित शक्तियों और कर्तव्यों को प्रत्यायोजित करना।
- 115 नगर पंचायत निधि के किसी भाग का विनिधान करना या उसे निक्षेप में रखना।
- 118 नगर पंचायत को सौंपी गयी सम्पत्ति का प्रबंध या नियंत्रण करना।
- 119 सार्वजनिक संस्थाओं की निधि का प्रबंध नियंत्रण और प्रशासन करना और उसे न्यासतः धारित करना।
- 124 नगर पंचायत में निहित किसी सम्पत्ति का अन्तरण करना। यदि अन्तरण जंगम संपत्ति से सम्बन्धित है तो इस प्रत्यायोजित किया जा सकता है।
- 125 नगर पंचायत निधि से प्रतिकर देना।
- 128-137 कर के संबंध में कोई कार्यवाही करना।
- 141 कर निर्धारण सूची को तैयार करना और कर-निर्धारण सूची बनाने के

प्रत्यायोजित किया जा सकता है।

- लिये किसी व्यक्ति को नियुक्त करना।
- 143-3 आपत्तियां सुनना और उनको विनिश्चत करना या आपत्तियों को सुनने और उनको विनिश्चत करने के लिये शक्ति का प्रत्यायोजन करना। तदैव
- 147-1 कर निर्धारण सूची का संशोधन करना।
- 156 कर का प्रशासन करने के लिये अनुज्ञा देना। तदैव
- 157-1-2 कराधान से छूट देना।
- 187 अग्निशमक दल की स्थापना और उनका अनुरक्षक करना।
- 196-क-ख सार्वजनिक नोटिस द्वारा ग्रह-सम्मार्जन या शौचालयों या संडासों की सफाई का जिम्मा लेना और इस जिम्मेदारी का त्याग करना।
- 197-2 किसी मकान को धारा-196 'क' के अधीन नोटिस से अपवर्तित करने के लिये आवेदन-पत्र पर आदेश देना। तदैव
- 212-क नगर पंचायत क्षेत्र के बाहर दो मील की दूरी तक किसी भवन या मार्ग और नाली के निर्माण को नियन्त्रित और विनियमित करना।
- 217-1-क किसी मार्ग का नाम रखना।
- 219 किसी सार्वजनिक मार्ग का निर्माण करना, उसे परिवर्तित करना, तोड़ना या बन्द करना, एस पर भवन स्थलों की व्यवस्था करना ऐसे प्रयोजनों के लिये भूमि अर्जन करने की कार्यवाही करना और इस प्रकार अर्जित भूमि को बेचना या उसका निस्तारण करना।
- 221 किसी मार्ग को सार्वजनिक मार्ग घोषित करना।
- 222-1-3 "मार्ग को नियमित पंक्ति" परिभाषित करना।
- 224 जल-कल का निर्माण करना और उसमें परिवर्तन करना।
- 237-1 बिक्री के लिये पशुओं के बध के लिये परिसर निश्चित करना।
- 238 ऐसे पशुओं के लिये बध स्थान निश्चित करना जो बिक्री के लिये आशयित न हों या जिनका धार्मिक प्रयोजन के लिये बध किया जाये और अन्य स्थान पर ऐसे बध का प्रतिषेध करना।

- 250-1 कुत्तों के मुख पट्टे बांधने की अपेक्षा करना।
- 253 प्रतिबंधित खण्ड- निर्देश देना कि यह उन गाड़ियों पर लागू न होगी जो पैदल चलने की गति से अधिक न चलायी जा रही थी।
- 257-1 निर्देश देने के नगर पंचायत की सहमति के बिना छतें और बाहरी दीवालें ज्वलनशील सामग्री से नहीं बनायी जायेंगी।
- 259 ज्वलनशील सामग्री आदि का ढेर लगाने या जमा करने का प्रतिषेध करना।
- 269 तालाब और ऐसे ही अन्य स्थानों से अपदूषण को हटाने की अपेक्षा करना जब ऐसा करने में नगर पंचायत द्वारा भूमि का अर्जन करना या उसकी व्यवस्था करना अन्तर्विष्ट हो।
- 273-1 संतापकारी प्रदार्थ और कूड़ा करकट के निस्तारण के लिये स्थान नियत करना।
- ख-और-ग और उसे हटाने के लिये समय, रीति और शर्तों के सम्बन्ध में निर्देश जानी करना।
- 275-3 पशुओं के शव के निस्तारण के लिये फीस विहित करना।
- 282 स्वास्थ्य के लिये हानिकार खेती, खाद का उपयोग या सिंचाई का प्रतिषेध करना।
- 285 कब्रिस्तान और श्मशान भूमि की व्यवस्था करना या उन्हें बन्द करना या उन्हें बनाये जाने की अनुमति देना, सार्वजनिक नोटिस से निजी कब्रगाहों को अपवादित करना। और किसी गैर मान्यता प्राप्त कब्रिस्तान या श्मशान भूमि का उपयोग करने की अनुमति देना।
- 286 स्नान और धुलाई करने के स्थान को पृथक करना, ऐसे स्थानों के प्रयोग के लिये शर्तें विहित करना और अन्य स्थानों पर स्नान और धुलाई करने का प्रतिषेध करना।
- 290-2 नगर पंचायत निधि से जल-कल या धारा 192, 267 और 268 के अधीन किसी कार्य के निष्पादन की स्वीकृति देना।

- 290-3 किस जल-कल या जल निस्तारण से अनुलग्न साधित्र में नगर पंचायत के हित को किसी भवन या भूमि के स्वामी को अन्तरित करना।
- 297 विनियम बनाना।
- 298 उपविधियां बनाना।
- 299 यह निर्देश देना कि उपविधियों का भंग किया जाना जुर्माने से दण्डनीय होगा।
- सामान्य कोई शक्ति, कर्तव्य या कृत्य जिसके बारे में नियम द्वारा यह अपेक्षित हो कि उसका प्रयोग, पालन या निर्वहन स्वयं नगर पंचायत द्वारा संकल्प के द्वारा किया जायेगा।

नगर पंचायत की शक्तियां और कृत्य

अनुसूची-दो

धारा	शक्ति या कर्तव्य	अभ्युक्तियां
1.	2.	3.
75	स्थायी अवर कर्मचारी वर्ग को नियुक्त करना।	
76	स्थाई अवर कर्मचारी की पदच्युत करना, हटाना या अन्यथा दण्ड देना।	
79-1	अधिकारी या सेवक को छुट्टी भत्ता देना।	
142	उस स्थान की सार्वजनिक नोटिस देना, जहां कर निर्धारण सूची का निरीक्षण किया जा सकेगा।	
143-1	मूल्यांकन और कर-निर्धारण पर विचार करने के लिये निश्चित समय की सार्वजनिक नोटिस देना और सम्पत्ति के स्वामी या अध्यासी को नोटिस देना।	
143-2	मूल्यांकन और कर-निर्धारण के सम्बन्ध में आपत्तियां प्राप्त करना।	
147-2	कर-निर्धारण सूची के प्रस्तावित परिवर्तन में हितबद्ध व्यक्तियों को उस दिनांक की, जिस दिनांक को परिवर्तन किया जायेगा, नोटिस देना।	
148-1	किसी भवन के नव-निर्माण, पुननिर्माण या विस्तार की नोटिस प्राप्त करना।	
150-2	पट्टाकर्ता से कर उदग्रहण करने के विकल्प का प्रयोग करना।	
151-1-2	ऐसे किसी भवन, वाराग्रह या भूमि को, जो खाली हों और जिससे किराया न मिलता हो, कर से छूट देना या उसे वापस करना।	
152-1	किसी भवन या भूमि से पुनः अध्यासन की नोटिस प्राप्त करना।	

- 153 ऐसे सूचना मांगना जिसका प्रभाव कराधान के दायित्व पर पड़ता हो।
- 166 करों और अन्य देयों के बिल प्रस्तुत करना।
- 168 मांग की नोटिस तामील करना।
- 169 करस्थम वारन्ट जारी करना।
- 172-1 करस्थम माल बेचना।
- और-2
- 172-3 वापसी के लिये आवेदन-पत्र प्राप्त करना और उसे वापस करना।
- 173 वारन्ट जारी करने के लिये मजिस्ट्रेट को आवेदन-पत्र देना।
- 176 मांग के लिये वाद लाना।
- 178-1 भवन इत्यादि का निर्माण पुनर्निर्माण करने या उसमें तात्त्विक परिवर्तन करने के आशय की नोटिस प्राप्त करना।
- 179-1 यह अवधारित करना कि ऐसी नोटिस के सम्बन्ध में सूचना समाधानप्रद है।
- 179-2 रेखांक विनिदेश, और बग़तर सूचना मांगना।
- 186 नोटिस द्वारा यह निर्देश देना कि किसी भवन इत्यादि का निर्माण, अपीलीय पुर्ननिर्माण परिवर्तन रोक दिया जाये या किसी भवन इत्यादि में परिवर्तित किया जाये या उसे गिरा दिया जाये।
- 189 नालियों का निर्माण करना।
- 190 नगर पंचायत की नालियों में परिवर्तन करना और उन्हें बन्द करना।
- 191-1 निजी नालियों को नगर पंचायत की नालियों से जोड़ने की अनुज्ञा देना और उसके लिये शर्तें विहित करना।
- 191-2 किसी उपविधि का या अनुज्ञा की शर्तों का उल्लंघन करके या बिना अनुज्ञा प्राप्त किये बनायी गयी नाली को बन्द करने आदि की अपेक्षा करना।

- 192-1 सार्वजनिक नाली के साथ जल-निस्तारण का संयोजन करना। अपीलीय उपधारा (3) के अधीन अभिलिखित आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है।
- 193 नालियों का निर्माण करने के लिये आवेदन-पत्र प्राप्त करना, आपत्तियां मांगना, उन पर आदेश देना और निर्माण की लागत और प्रतिकर वसूल करना।
- 194 नाली को मोड़ने के लिये अनुज्ञा देना और इस प्रकार नाली मोड़ने के लिये शर्तें विहित करना।
- 196-ग अध्यासी की सहमति से ग्रह-संमार्जन करने या विष्टा या विष्टा या अन्य दुर्गन्धयुक्त
- और घ पदार्थ या कूड़ा-करकट हटाने का जिम्मा लेना और इस जिम्मेदारी का त्याग करना।
- 201-1 रूढ़िगत सफाईकारों द्वारा उपेक्षा किये जाने पर मजिस्ट्रेट से शिकायत करना।
- 202-1 किसी पृथक द्वारा ग्रह संमार्जन की उचित व्यवस्था न किये जाने पर मजिस्ट्रेट से शिकायत करना।
- 201 मार्ग का विन्यास कराने और बनाने की अनुज्ञा के लिये आवेदन-पत्र प्राप्त करना।
- 209 प्रक्षेप के लिये अनुज्ञा देना। अनुज्ञा देने से इन्कार करने के विरुद्ध अपील की जा सकती है।
- 211 प्रक्षेप को हटाने या उसे परिवर्तित करने के लिये नोटिस जारी करना।
- 213 भवन आदि के निर्माण और मरम्मत के लिये अनुज्ञा देना और सूचना पट्ट आदि के सम्बन्ध में आदेश जारी करना।
- 214 झाड़ियों और पेड़ों को काटने और छांटने की अपेक्षा करना।
- 215 गिरे हुए मकान इत्यादि के कारण हुई बाधा को हटाना और उसे हटाने में होने वाले व्यय को वसूल करना या उसे हटाये जाने की अपेक्षा

- करने के लिये नोटिस जारी करना।
- 216 बरसाती पानी के लिये नालों और नलों की व्यवस्था करने की अपेक्षा करना।
- 217-1ख किसी मार्ग का नाम रखना या भवन पर संख्या डलवाना या स्वामी या अध्यासी।
- और-ग से संख्या पट्टिका लगाने की अपेक्षा करना और ऐसे नामों और संख्याओं में परिवर्तन कराने या करने की अपेक्षा करना।
- 218 भवनों पर बत्तियों, टेलीग्राफ और टेलीफोन के तारों इत्यादि के लिये खम्भे और ब्रेकेट लगवाना।
- 220 किसी सार्वजनिक मार्ग या स्थान का उपयोग या अध्यासन करने के लिये अनुज्ञा देना।
- 223 सार्वजनिक मार्गों इत्यादि की मरम्मत के समय बाड़ा लगाने और रौशनी की व्यवस्था करना।
- 225-1 निजी कुओं आदि की सफाई किये जाने की अपेक्षा करना। अपीलीय
- 225-2 किसी व्यक्ति से निजी कुएं इत्यादि का प्रयोग न करने या उसे बन्द कर देने या बाड़ा लगा देने की अपेक्षा करना।
- 227 जल-सम्भरण के किसी स्त्रोंत के निकट नालियों, शौचालयों इत्यादि को हटाने या बन्द कराने की अपेक्षा करना। अपीलीय
- 229 करार द्वारा जल-सम्भरण करना।
- 230 जल-सम्भरण के लिये प्रभार लेना।
- 236 नालियों इत्यादि के ऊपर अनाधिकृत भवनों को हटाना या उसके सम्बन्ध में अन्य प्रकार की कार्यवाही करना या ऐसे भवन इत्यादि को हटाने का नोटिस जानी करना। अपीलीय
- 240 किसी उपविधि का उल्लंघन करके नगर पालिका की सीमा के भीतर लाये गये गोशत का अभिग्रहण करने के लिये किसी

अधिकारी को प्राधिकार देना और ऐसे गोशत के निस्तारण के लिये आदेश जारी करना।

- 244-1 बिक्री के लिये प्रदर्शित ऐसी वस्तुओं को जो मानव उपभोग के लिये अनुपयुक्त प्रतीत हो और ऐसी औषधियों को जिनमें मिलावट होने की या जिनकी निष्प्रभावी हो जाने की शंका हो, अधिग्रहीत करना और ऐसी औषधियों को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना।
- 245-1 आपत्तिजनक व्यापार के सम्बन्ध में नोटिस जारी करना। अपीलीय
- 249 ऐसे कुत्तों को जिनके जलान्तक (रेबीज) रोग आदि से पीड़ित होने का सन्देह हो नष्ट या परिरूद्ध करने के लिये किसी व्यक्ति को प्राधिकृत करना।
- 250-2 बिना मुख-पट्ट बंधे हुए कुत्तों को नष्ट या परिरूद्ध करने के लिये किसी व्यक्ति को प्राधिकृत करना।
- 256 किसी सार्वजनिक भूमि को पशुओं या गाड़ियों के पड़ाव के लिये उपयोग में लाने की अनुज्ञा देना।
- 257-2 किसी छत और दीवाल को यदि वे ज्वलनशील हो, हटाने की अपेक्षा अपीलीय करना।
- 258 ज्वलनशील सामग्री की तलाशी लेना और अनुज्ञात मात्रा से अधिक किसी मात्रा में रखी गयी सामग्री अधिग्रहीत करना।
- 260 संकटपूर्ण खदान कार्य के सम्बन्ध में नोटिस जारी करना और आसन्न खतरे के निवारणार्थ विज्ञापन पट (होडिंग) या बाड़ा लगाना।
- 261 खंडजा आदि को हटाने की अनुज्ञा देना और इस प्रकार हटाये जाने आदि के कारण नगर पंचायत द्वारा किये गये व्यय को वसूल करना।
- 263 नोटिस द्वारा ऐसे भवन इत्यादि को जो खतरनाक हालत में या खण्डहर किसी तालाब की मरम्मत के रूप में तोड़ देने या उसकी मरम्मत करा देना या कुयें तालाब करवाने या उसे घेरने के आदेश के विरूद्ध आदि को मरम्मत कराने और उनको घेरने की अपेक्षा करना और अपील की जा सकती है। आसन्न संकट होने की स्थिति में तुरन्त कार्यवाही करना।

- 264 अनध्यासित भवन या भूमि को, जिससे लोक अपदूषण होता हो, अपीलिय सुरक्षित करने या घेर देने की अपेक्षा करना।
- 265 किसी सड़क पर अस्थायी बाधा पहुचाने की लिखित अनुज्ञा देना और किसी सड़क से कोई बाधा हटाना और हटाये जाने का व्यय वसूल करना।
- 266 खुले स्थानों से मिटटी इत्यादि हटाने के लिये अनुज्ञा देना।
- 267 असार्वजनिक नालियों, नलकूपों कूड़ेदानों, शौचालयों, इत्यादि की व्यवस्था करने, उनमें परिवर्तन करने, हटाने, बन्द करने सफाई करने और दिखाई ने देने की अपेक्षा करना। शौचालयों मूत्रालय, नाबदान, नाली, नलकूप, कूड़ादान, या गन्दगी, मैला, पानी, कूड़ाकरकट या कचरे के किसी अन्य पात्र को उपधारा-1, के खण्ड-क, के अधीन स्वामी या अध्यासी से बन्द करने या हटाने की अपेक्षा करने या उपधारा-1, के खंड-क, के अधीन उनकी व्यवस्था करने के आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है।
- 268 कारखानों आदि के लिये शौचालायों, मूत्रालायों, की व्यवस्था करने और उनकी सफाई करने की अपेक्षा करना।
- 269-अंशतः कुओं, तालाबों, इत्यादि की सफाई, मरम्मत, ढकने भरने या जल का अपीलिय निस्तारण करने की अपेक्षा करना।
- 270 नालियों, संडासों, इत्यादि का निरीक्षण करना और भूमि खुदवाना।
- 271 गन्दे भवन या भूमि को स्वच्छ रखने की अपेक्षा करना।
- 273-1क संतापकारी प्रदार्थ को अस्थायी रूप से जमा करने के लिये पात्र और स्थान की स्थापना करना।
- 275-1 पशुओं के शव के निस्तारण का प्रबन्ध करना।
- 275-3अंशतः ऐसे निस्तारण के लिये फीस लेना और वसूल करना।
- 276 सीवेज आदि बहाने के लिये अनुज्ञा देना और उससे संबंधित शर्तें विहित करना।
- 277 किसी भवन में प्रदेश करना और उसका निरीक्षण करना और उसे रोगाणुमुक्त आदि करने का निर्देश देना।

- 278 मानवीय निवास के लिये अनुपयुक्त भवन के सम्बन्ध में आदेश जारी अपीलीय करना।
- 280 हैजा या चेचक के रोगी, इत्यादि को अस्पताल भेजना।
- 283 किसी स्वामी या अध्यासी के अनिष्टकारी वनस्पतियों को साफ करने की अपेक्षा करना।
- 284-1 उपविधियों या अनुज्ञा की शर्तों का उल्लंघन करके किये गये उत्खन्न आदि को भरने या उसके जल-निस्तारण का अपेक्षा करना।
- 291 भूमि के किराये की वसूली के लिये कलैक्टर को आवेदन करना।
- 293 नगर पंचायत में निहित या उसके प्रबंध में सौंपी गयी सथावर सम्पत्ति के प्रयोग या अध्यासन के लिये फीस लेना और ऐसा प्रभार उदग्रहीत या वसूल करना।
- 294 लाइसेन्स स्वीकृति और अनुज्ञा के लिये फीस लेना।
- 307 किसी कार्य को निष्पादित करवाना और उसके व्यय को वसूल करना।
- 308 चूक करने वाले स्वामी के बजाय अध्यासी से नगर पंचायत को किराये का भुगतान करने की अपेक्षा करना और किसी अध्यासी से सपेक्षा करना कि वह अपने द्वारा देय किराये इत्यादि के बारे में सूचना प्रस्तुत करें।
- 309 अध्यासी द्वारा निष्पादित कार्य को अनुमोदित करना।
- 312 हटायी गयी सामग्री की बिक्री से हटाये जाने का व्यय वसूल करना कतिपय शर्तों के अधीन सामग्री स्वामी को लौटा देना या स्वामी द्वारा दावा न किये जाने पर उन्हें बेच देना।
- 313-2 किसी न्यासी या अधिकर्ता को नोटिस देना के वह स्वामी की ओर से प्राप्त धन को स्वामी की बाध्यता के निर्वहन के लिये प्रयोग में लाये।
- 314 शिकायत करके और सूचना देकर अभियोजन संस्थित करना और ऐसी शिकायत करने और ऐसी सूचना देने के लिये अन्य व्यक्तियों को प्राधिकृत करना।
- 317 किसी पुलिस अधिकारी से सूचना प्राप्त करना।

3.

प्रारम्भ में प्रत्येक विभाग के लिपिक स्तर से उत्तरोत्तर विभाग प्रमुख से अधिशासी अधिकारी से अध्यक्ष तथा अन्त में नगर पंचायत में निर्णय की शक्ति निहित है।

4.

अधिनियम, नियम, उपनियम एवं समय-समय पर शासन स्तर से निर्गत शासनादेशों में वर्णित प्राविधनों के अन्तर्गत खुली बैठकों और सामूहिक परिचर्चा पश्चात दायित्व का निर्वहन।

5.

म्यूनिसीपल मैनुअल 30प्र0, नगर पालिका अधिनियम 1961, म्यूनिसीपल एकाउन्ट कोड एवं नगर पंचायत द्वारा बनाये गये रूल्स, रेग्यूलेशन व बाइलौज प्रमुख है। राज्यपाल महोदय के अनुदेश तथा वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियम प्रमुख अनुदेश एवं हस्तक है। विभाग द्वारा म्यूनिसीपल एकाउन्ट कोड एवं नगर पंचायत बाइलौज के अनुसार अभिलेख अनुरक्षित किये जाते हैं।

6. धारित दस्तावेजों का विवरण:

बोर्ड की कार्यवाही रजिस्टर, सभासद रजिस्टर, बजट, वार्षिक प्रशासनिक आख्या, जनरल कैश बुक चैक बुक, पास बुक-ऋण पंजिका अनुदान पंजिका स्थाई अग्रिम पंजिका, अस्थायी अग्रिम पंजिका, चैक रजिस्टर, कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका एवं व्यक्तिगत पत्रावली भविष्य निधि पंजिका एवं पास बुक, यात्रा भत्ता रजिस्टर, व्यय पत्र आय-व्यय वर्गीकृत सार पत्र, वार्षिक सम्परीक्षा आपत्ति पत्रावलियों

कर्मचारियों की अवकाश पंजी असिसमेन्ट लिस्ट मांग, एवं संग्रह पंजी, किराया मांग एवं संग्रह लाइसेन्स रजिस्टर बिल बुक ग्रहकर, जलकर, नियमावली लायसेन्स, शुल्क नियमावली, शो टैक्स नियमावली, प्रोजेक्शन टैक्स नियमावली, सम्पत्ति रजिस्टर, भवन मानचित्र एवं रजिस्टर, मुकदमात रजिस्टर एवं पत्रावलियों स्टाक बुक स्टेशनरी/फार्म्स, पब्लिक वर्क्स रजिस्टर, निर्माण कार्य रजिस्टर, रिसीब्ड एवं डिस्पैच रजिस्टर, स्केल रजिस्टर, सिक्योरिटी रजिस्टर, कर्मचारियों की उपस्थिति पंजिका, पे बिल्स, स्टाम्प रजिस्टर, मासिक विवरण पत्र, टूल्स एण्ड प्लान्ट रजिस्टर, मेजरमेन्ट बुक, कान्ट्रैक्टर बिल्स, बिल्स मस्टरोल, निर्माण पत्रावलियां, जन्म-मृत्यु रजिस्टर, जलमूल्य मांग एवं संग्रह पंजीका, जल संयोजन पत्रावलियां, मिस्लेनियस डिमाण्ड एवं कलैक्शन रजिस्टर (ठेकाजात) व पत्रावलियां।

7. लोक परामर्श व्यवस्था-

कार्यावधि में प्रातः 10 बजे से सांय 05 बजे तक प्रत्येक कार्य दिवसों में।

8. नगर पंचायत समिति की बैठकें और उनकी कार्यवाही-

उ0प्र0 नगर पंचायत अधिनियम 1916 की धारा 104 से 110 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत समिति और संयुक्त समिति गठित किये जाने की व्यवस्था है। उक्त एक्ट की धारा 86 से 94 के अन्तर्गत नगर पंचायत की बैठकें और उनकी कार्यवाहियां प्राविधानित है। नगर पंचायत की बैठकें धारा 90 के अन्तर्गत जनसाधारण के लिये खुली रहेगी। तदनुसार बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी।

9- अधिकारियों/कर्मचारियों की निर्देशिका

क्रं.सं.	नाम	पदनाम	निवास स्थान
1.	2.	3.	4.
1.	श्री सुरेन्द्र पाल सिंह	अधिशायी अधिकारी	ग्राम- भैयापुर, बुलन्दशहर
2.	श्री अशोक कुमार	लेखा लिपिक	मौहल्ला ब्रह्मन पुरी, छर्गा, अलीगढ़
3.	श्री दिलदार खां	जल-कल लिपिक	मौ0 कस्साईयान, कौड़ियागंज, अलीगढ़
4.	श्री शंकर पाल सिंह	पम्प अटेन्डैन्ट	ग्राम- भीगोर , एटा
5.	श्री रहीस खां	चपरासी	ग्राम- खन्नपुरा, अलीगढ़
6.	श्री कल्लू खां	चौकीदार	मौ0 किला मेवातियान, कौड़ियागंज
7.	श्री किशोरी लाल	सफाई नायक	मौ0 कौलियान, कौड़ियागंज
8.	श्री सोरन लाल	सफाई कर्मचारी	मौ0 कौलियान, कौड़ियागंज
9.	श्री राजू	सफाई कर्मचारी	मौ0 छिपैटी, नावादा कौड़ियागंज
10.	श्रीमती विमला	सफाई कर्मचारी	मौ0 कौलियान, कौड़ियागंज
11.	श्री वीरेन्द्र कुमार	सफाई कर्मचारी	मौ0 कौलियान, कौड़ियागंज
12.	श्री सरमन	सफाई कर्मचारी	मौ0 कौलियान, कौड़ियागंज
13.	श्री जगदीश	सफाई कर्मचारी	मौ0 कौलियान, कौड़ियागंज
14.	श्रीमती भागवती	सफाई कर्मचारी	मौ0 कौलियान, कौड़ियागंज
15.	श्री कालीचरन	सफाई कर्मचारी	मौ0 छिपैटी, नावादा, कौड़ियागंज
16.	श्री सुखवीर	सफाई कर्मचारी	मौ0 छिपैटी, नावादा, कौड़ियागंज

10- नगर पंचायत कौड़ियागंज में कर्मचारियों के वेतन की स्थिति

क्रं.सं.	नाम	पदनाम	वेतनमान	मूलवेतन	कुलवेतन
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	श्री सुरेन्द्र पाल सिंह	अधिशासी अधिकारी	3200-4900	4050.00	8298.00
2.	श्री अशोक कुमार	लेखा लिपिक	3050-4590	3875.00	8085.00
3.	श्री दिलदार खां	जल-कल लिपिक	2750-4400	3450.00	7185.00
4.	श्री शंकर पाल सिंह	पम्प अटेन्डैन्ट	2610-3540	3030.00	6152.00
5.	श्री रहीस खां	चपरासी	2550-3200	3140.00	6405.00
6.	श्री कल्लू खां	चौकीदार	2550-3200	3200.00	6561.00
7.	श्री किशोरी लाल	सफाई नायक	2550-3200	3200.00	6606.00
8.	श्री सोरन लाल	सफाई कर्मचारी	2550-3200	3200.00	6606.00
9.	श्री राजू	सफाई कर्मचारी	2550-3200	3140.00	6450.00
10.	श्रीमती विमला	सफाई कर्मचारी	2550-3200	3140.00	6450.00
11.	श्री वीरेन्द्र कुमार	सफाई कर्मचारी	2550-3200	3140.00	6450.00
12.	श्री सरमन	सफाई कर्मचारी	2550-3200	3080.00	6332.00
13.	श्री जगदीश	सफाई कर्मचारी	2550-3200	3080.00	6332.00
14.	श्रीमती भागवती	सफाई कर्मचारी	2550-3200	2960.00	6058.00
15.	श्री कालीचरन	सफाई कर्मचारी	2550-3200	2605.00	5373.00
16.	श्री सुखवीर	सफाई कर्मचारी	2550-3200	2550.00	5283.00

11- मूल आय-व्यय वर्ष 2006-07

आय पक्ष शीर्षक	वास्तविक आय 2005-06	अनुमानित आय 2006-07	व्यय पक्ष शीर्षक	वास्तविक व्यय 2005-06	अनुमानित व्यय 2006-07
ग्रहकर	21287.00	200000.00	कार्यालय जल- कल ओवरसियर विभाग पर व्यय	1513251.00	2050000.00
ठेकेजात	31750.00	100000.00	सफाई कर्मचारियों पर व्यय	1522128.00	30,00000.00
जलशुल्क	27920.00	80,000.00	रोशनी पर व्यय सफाई उपकरण पर व्यय	-	300000.00
राज्य वित्त आयोग	98,47000.00	10000000.00	निर्माण पर व्यय	1933036.00	2000000.00
ग्यारहवां/बारवां वित्त आयोग	349000.00	500000.00	जल आपूर्ति पर व्यय	193625.00	200000.00
नगरीय आवस्थापना निधि	-	-	यात्रा पर व्यय	-	20000.00
हैण्ड पम्प	-	-	आडिट फीस पर व्यय	-	50000.00
			कार्यालय फर्नीचर और भवन मरम्मत बिक्रीकर पर व्यय	-	50000.00
अन्य आय	17756.00	50,000.00	अन्य व्यय	873319.00	10,00000.00
आय का योग	10294713.00	10930000.00	योग व्यय	6035359.00	8670000.00

12. फायदा ग्राहीओं के ब्यौरे-

स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत बेरोजगारों को बैंकों के माध्यम से अधिकतम रू0 50,000/- ऋण पात्र चयनित लाभार्थियों को उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है। जिसमें 15 प्रतिशत सबसिडि दी जाती है। ऋण प्रपत्र निशुल्क वितरण व्यवस्था है। वर्ष 2006-07 में निर्धारित लक्ष्य 30 लाभार्थी निर्धारित है लक्ष्य पूर्ति परिप्रेक्ष्य में निर्धारित प्रक्रिया प्रगति पर है।

13. प्रदत्त छूट-

ग्रहकर नियमावली में प्राविधानित है कि कर दाता कर की मांग का बिल प्राप्त होने की तिथि के 15 दिवस में देय कर का भुगतान करने पर देय कर का प्रतिशत छूट पाने का हकदार है।

14. इलैक्ट्रोनिक सूचना ब्यौरे-

इलैक्ट्रोनिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरों की उपलब्धता शून्य है।

15. पुस्तकालय/वाचन कक्ष-

नगर पंचायत में पुस्तकालय संचालित नहीं है। पुस्तकालय व्यवस्था हेतु प्रयास जारी है।

16. लोक सूचना अधिकारियों के नाम/पदनाम-

सूचना अधिकारी : श्री सुरेन्द्र पाल सिंह,
अधिशासी अधिकारी,

सहायक सूचनाधिकारी : श्री अशोक कुमार, लेखा लिपिक

17. अन्य सूचना जो निर्धारित की गयी हैं- शुन्य

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत, कौड़ियांगज
अलीगढ़।